तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/01/22	पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादी हाजिर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र का सार यह है कि प्रार्थीया तीजा पत्नी हनुमान जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 3 जे.डब्ल्यू. के खाता सं. 14/10 के प.नं. 84/356 के किला नं. 5 में 0.025 हैक. खाला दर्ज है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रावतसर के आदेश क्रमांक टी/चक 3 जेडब्ल्यू/825 दिनांक 08.7.2021 के द्वारा किला नं. 5 का 0.025 हैक. खाला को निरस्त किया जा चुका है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट सं. भू.अ./2021/9495 दिनांक 11.08.2021 के सलग्न गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के अनुसार चक 3 जेडब्ल्यू की चालू जमाबंदी में प.नं. 84/356 (8) किला नं. 4/0.026 हैक खाला नही बना हुआ है व प.नं. 84/356 (8) किला नं. 5/0.025 हैक. गै. मु. खाला तीजां देवी पत्नी हनुमान पुत्र लूणा जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प.नं. 84/356 (8) किला नं. 4 व 5 में मौके पर खाला नही बना हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार तथा रिपोर्ट सिचांई विभाग के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसील पीलीबंगा के चक 3 जेडब्ल्यू के प.नं. 84/356 (8) के किला नं. 5 में 0.025 हैक. खाला के अकंन को हटाया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04/01/22 को सुनाया गया। वर्णित रकबा पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन विचाराधीन ना हो तो अमल दरामद किया जावे। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:50:22 IST
Reason: SelfAttested